



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275557
CG-DL-E-19082026-275557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]
No. 514]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) संशोधन विनियम, 2026

(2026 की सं. 01)

सं. सीसीआई/विनियम-प्रति.विनी (संशो.)/2026.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 तथा धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 3 के उपविनियम (3) में, "45 (पैंतालीस)" शब्द के स्थान पर "60 (साठ)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 3 के उपविनियम (4) में, "प्रतिबद्धता करने वाला आवेदक को ऐसे व्यक्तिक्रमों का परिशोधन करने या अपेक्षित सूचना, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा। प्रतिबद्धता करने वाला आवेदक, सूचना प्राप्त होने की तारीख से दस (10) कार्यदिवसों या आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य कालावधि के भीतर ऐसे व्यक्तिक्रमों का परिशोधन करेगा या अपेक्षित सूचना, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, प्रस्तुत करेगा, अन्यथा प्रतिबद्धता आवेदन को अविधिमान्य माना जा सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) उसे आवेदक को यह उपदर्शित करते हुए वापस कर दिया जाएगा कि व्यक्तिक्रम या कमियां परिशोधित करें;

(ख) आवेदक, ऐसे संप्रेषण प्राप्त होने की तारीख से दस (10) कार्यदिवसों के भीतर व्यक्तिक्रमों का निराकरण करते हुए तथा इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवेदन पुनः फाइल करेगा;

(ग) मूल आवेदन के लिए संदत्त फीस, विनियम 3(4)(ख) के अनुसार पुनः फाइल किए जाने वाले आवेदन के लिए संदेय फीस में समायोजित की जाएगी;

(घ) यदि आवेदक, विनियम 3(4) (ख) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर व्यक्तिक्रमों को दूर करने में विफल रहता है, तो प्रतिबद्धता आवेदन अविधिमान्य माना जाएगा।"

4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (1) में, "7 (सात)" शब्द के स्थान पर "15 (पंद्रह)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) में, "130 (एक सौ तीस)" शब्दों के स्थान पर "180 (एक सौ अस्सी)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के विद्यमान परंतुक से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि उक्त कालावधि की गणना के प्रयोजनार्थ, प्रतिबद्धता करने वाला आवेदक या कोई अन्य पक्षकार द्वारा अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण या उत्तर प्रस्तुत करने में लिया गया समय या प्राप्त किया गया समय-विस्तार अपवर्जित किया जाएगा। उस दशा में जहां उक्त अपवर्जित के पश्चात, अनुबद्ध कालावधि के भीतर प्रतिबद्धता कार्यवाहियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती हैं, तो प्रतिबद्धता करने वाले आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 26 के अधीन जांच पुनः प्रारंभ की गई मानी जाएगी।"

7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के विद्यमान परंतुक में, "परंतु" शब्द के पश्चात "यह और कि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के विद्यमान परंतुक में, "130 (एक सौ तीस)" शब्दों के स्थान पर "180 (एक सौ अस्सी)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
9. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 5 के उपविनियम (2) में, "संबंधित पक्षकारों द्वारा फाइल किया गया" शब्दों का लोप हो जाएगा।
10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 5 के उपविनियम (2) के खंड (क) में "संबंधित पक्ष और उसके" शब्दों के स्थान पर 'ऐसा व्यक्ति और उनके' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 9 में, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
12. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 11 के उपविनियम (3) में, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 35" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 36" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
13. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 13 के उपविनियम (1) में, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
14. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 13 के उपविनियम (2) में, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
15. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 14 के उपविनियम (1) में, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 37 और विनियम 50" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 38 और विनियम 51" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
16. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिबद्धता) विनियम, 2024 के विनियम 14 के उपविनियम (1) के परंतुक में, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 35" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के विनियम 36" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

इंदर पाल सिंह बिंद्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./283/2026-27]

टिप्पण : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या सीसीआई/विनियम-प्रति.विनी./2024, दिनांक 6 मार्च, 2024 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

Competition Commission of India (Commitment) Amendment Regulations, 2026

(No. 01 of 2026)

No. CCI/Reg-C.R. (Amdt.)/2026.— In exercise of the powers conferred by sections 36 and 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to further amend the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, namely: —

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Commitment) Amendment Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 3, in sub-regulation (3), the words “45 (forty-five)” shall be substituted with the words “60 (sixty)”.
3. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 3, in sub-regulation (4), the words “the Commitment Applicant may be asked to remove such defect(s) or furnish the required information including document(s). The Commitment Applicant shall rectify such defects or furnish the required information including document(s) within ten (10) working days of the receipt of communication or such other period as may be specified by the Commission, failing which the Commitment Application may be treated as invalid” shall be substituted by the following sub-clauses, namely:
 - “(a) the same shall be returned to the applicant, indicating the defects or deficiencies to be rectified.
 - (b) the applicant shall, within ten (10) working days from the date of receipt of such communication, refile the application after curing the defects and ensuring compliance with these regulations
 - (c) the fee paid for the original application shall be adjusted against the fee payable upon refiling in accordance with regulation 3(4)(b)
 - (d) In case of failure to remove the defects, within the time as specified in regulation 3 (4) (b), the Commitment Application shall be considered invalid”.
4. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 4, in sub-regulation (1), the word “7 (seven)” shall be substituted with the word “15 (fifteen)”.
5. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 4, in sub-regulation (7), the words “130 (one hundred and thirty)” shall be substituted with the words “180 (one hundred and eighty)”.
6. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 4, in sub-regulation (7), before the existing proviso, the following proviso shall be inserted:

“Provided that, for the purpose of computing the said period, any time taken or extension availed by the Commitment Applicant or any other party in furnishing the requisite information, clarification, or response shall stand excluded. In case the commitment proceedings are not concluded within the stipulated period, after excluding such time, the inquiry under section 26 of the Act against the Commitment Applicant shall stand resumed.”
7. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 4, in the existing proviso to sub-regulation (7), after the word “Provided”, the word “further” shall be inserted.
8. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 4, in the existing proviso to sub-regulation (7), the words “130 (one hundred and thirty)” shall be substituted with the words “180 (one hundred and eighty)”.
9. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 5, in sub-regulation (2), the words “filed by the concerned parties” shall be omitted.
10. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in Regulation 5, in sub-regulation (2), in clause (a), the words “the concerned party and its” shall be substituted by the words “such person and their”
11. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 9, the words “CCI (General) Regulations, 2009” shall be substituted by the words “CCI (General) Regulations, 2024”.
12. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 11, in sub-regulation (3), the words “regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009” shall be substituted by the words “regulation 36 of the CCI (General) Regulations, 2024”.
13. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 13, in sub-regulation (1), the words “CCI (General) Regulations, 2009” shall be substituted by the words “CCI (General) Regulations, 2024”.
14. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 13, in sub-regulation (2), the words “CCI (General) Regulations, 2009” shall be substituted by the words “CCI (General) Regulations, 2024”.
15. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 14, in sub-regulation (1), the words “regulation 37 and regulation 50 of the CCI (General) Regulations, 2009” shall be substituted by the words “regulation 38 and regulation 51 of the CCI (General) Regulations, 2024”.
16. In the Competition Commission of India (Commitment) Regulations, 2024, in regulation 14, in the proviso to sub-regulation (1), the words “regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009” shall be substituted by the words “regulation 36 of the CCI (General) Regulations, 2024”.

INDER PAL SINGH BINDRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./283/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification number CCI/Reg-C.R./2024, dated the 6th March, 2024.